नई प्रगति
नया विकास

विजय कुमार चौधरी
serial no. 138

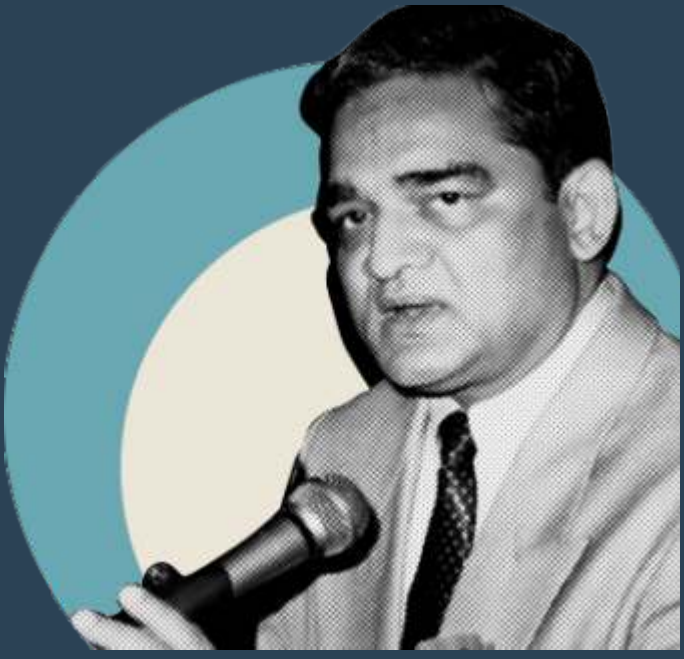

परिचय

आदरणीय अधिवक्ता साथी,

सादर प्रणाम,

सन् 1974 में सिविल जज–मजिस्ट्रेट के पद पर चयनित होने के उपरांत 1975 से 1979 तक म.प्र. न्यायिक सेवा में म.प्र. में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी एवं सिविल जज के रूप में कार्य किया। तदोपरांत सन् 1979 से आज दिनांक तक भोपाल में वकालत कर रहे है, वकालत के साथ–साथ अधिवक्ता हित में समय–समय पर भोपाल जिला अभिभाषक संघ के सचिव एवं अध्यक्ष के रूप में कई कार्य किये। तथा वर्तमान में भी जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा अर्थशास्त्र में एम.ए. करने के बाद एल.एल.एम. तथा पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की गई।इसके अतिरिक्त म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद में भी सदस्य एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के रूप में कई कार्य किये, वर्तमान में अधिवक्ता परिषद के को–चेयरमेन हैं। सन् 1990 में अधिवक्ता परिवार के विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक छात्रवृत्ति ट्रस्ट का गठन किया, जिसके माध्यम से मेघावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता एवं गरीब कन्याओं के विवाह हेतु एवं अन्य संस्थाओं को सामाजिक गतिविधियों में आर्थिक मदद की जाती है। एडवोकेट क्लब ऑफ भोपाल केपिटल का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से भी अनेक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय सहयोग किया जाता है, तथा राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तथा आयोजन में सहयोग किया जाता है। श्री नन्दिश्वर जिनालय न्यास के माध्यम से धार्मिक सद्भाव के अंतर्गत सामाजिक आयोजन किये जाते है। न्यास के माध्यम से सभी धर्मो के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में होने वाले विवाह समारोह न्यास के सभागार नाम–मात्र के शुल्क पर उपलब्ध कराया जाता है।

सचिव एवं अध्यक्ष के रूप में जिला अभिभाषक संघ भोपाल में किये गये कुछ कार्य

- सचिव के प्रथम कार्यकाल 1992–94 में बार का कुल फंड 52000/– रूपये था, जिसे बढ़ाने की कार्ययोजना बनाई एवं आजीवन सदस्यता शुल्क की राशी की **F.D.** किए जाने का प्रवधान किया, उक्त **F.D.** वर्तमान में लगभग सवा करोड़ रूपये की हो चुकी है, जिस कारण भोपाल बार वर्तमान में आर्थिक रूप से सक्षम बार है।

- सचिव के द्वितीय कार्यकाल 1996–98 में ही भोपाल बार का संविधान वरिष्ठ अधिवक्ताओं से परामर्श कर संशोधित एवं लागू किया। भोपाल बार के संविधान के प्रावधानों को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जिला संघो के लिए मॉडल बॉय लाज के रूप में अपनाया गया, जो भोपाल बार के लिये सम्मान का विषय है।

  अभिभाषक संघ को पुराने भवन में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो हाल किचिन सहित मिला था, वह प्रशासनिक स्तर पर उस समय की कार्यकारिणी के साथ किए गए प्रयासों का परिणाम था।

- अध्यक्ष के रूप में प्रथम कार्यकाल 2001–03 में बार को केंटीन ओर फोटो कॉपी की दुकान के लिए स्थान आवंटित कराया गया, परिणाम स्वरूप बार को अतिरिक्त आय मिली एवं अधिवक्ताओं को स्वच्छ एवं कम दर पर स्वल्पाहार की व्यवस्था उपलब्ध करायी।

  जिला अभिभाषक संघ को कम्प्युटरीकृत करने का प्रथम प्रयास एवं संघ के कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित किया। पहली बार जिला अभिभाषक संघ भोपाल के सभी सदस्यों की टेलीफोन डायरेक्टरी बिना संघ के एक भी रूपया खर्च किये प्रकाशित करायी गयी एवं प्रकाशन में विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हुई अतिरिक्त राशि को बार के फण्ड में जमा किया गया।

- अध्यक्ष के रूप द्वितीय कार्यकाल 2005–07 में न्यायालय नवीन न्यायालीन बिल्डिंग में स्थानांतरित हुआ था, उस समय न्यायालयीन परिसर में **बार भवन** हेतु कोई स्थान नहीं था, तब राज्य **शासन से राशि स्वीकृत करा कर बार भवन का निर्माण कराया।** साथ ही हाई कोर्ट प्रशासन से हाल **"दीपक हाल"** भी प्राप्त किया।

इसके अतिरिक्त **महिला अधिवक्ताओं के लिये पृथक से महिला अधिवक्ता विश्राम कक्ष** के लिये भी स्थान पृथक से न्यायालय प्रशासन से प्राप्त किया एवं सर्वसुविधायुक्त कर उपलब्ध कराया।

साथ ही न्यायालय प्रशासन से संघ के लिए भी एक रूम अलग से प्राप्त किया, जिसमे वर्तमान में **मेमो टिकट का काउंटर लगता है।**

इसके अलावा **सीनियर एडवोकेट्स के लिए विश्राम कक्ष** उपलब्ध कराया गया।

संचार माध्यमो को बढावा देते हुये **ई–लाईब्रेरी हेतु बार को इन्टरनेट** से युक्त किया गया।

पुरानी पुस्तको को भी बाईंडिग करायी जाकर वाटरप्रूफ, टर्मरिक प्रूफ, किटप्लाई के सेल्फ बनवाये गये, जो आज दिनांक तक अच्छी स्थिति में है।

विभिन्न मदो से प्राप्त होने वाली आय एवं ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि से ही बार में नियुक्त स्टाफ का वेतन, संघ में होने वाले कार्यक्रम तथा बीमारी की दशा में अधिवक्ताओं की सहायता हेतु राशि की व्यवस्था की गयी।

दूसरी बार पुनः जिला अभिभाषक संघ भोपाल के सभी सदस्यों हेतु टेलीफोन डायरेक्टरी बिना संघ के एक भी रूपया खर्च हुये प्रकाशित करायी गयी एवं प्रकाशन में विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हुई अतिरिक्त राशि को बार के फण्ड में जमा किया गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी से दस लाख रूपया सहायता राशि प्राप्त की गयी।

वर्ष 2008 से 2013 तक म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद की कुछ उपलब्धियां

सदस्य एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी समिति के रूप में

- **अत्याधुनिक ई–लायब्रेरी** की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से परिषद ने 60 लाख रूपये व्यय कर प्रदेश के 205 अधिवक्ता संघों को कम्प्यूटर, प्रिन्टर, सी.पी.यू., यू.पी.एस. एवं रिसर्च हेतु **AIR** का सॉफ्टवेयर प्रदान किया गया।
- भोपाल में संपन्न हुई अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास की बैठक में **दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों** को सामूहिक **बीमा योजना** के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये, **50 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये किया गया।**
- दिनांक 12 अगस्त 2012 को प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के लिये **भोपाल में वकील–पंचायत** का आयोजन किया गया एवं इस पंचायत के माध्यम से **प्रदेश के अधिवक्ताओं की तमाम समस्याओं को परिषद के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष रखा गया,** जिसके फलस्वरुप माननीय मुख्य मंत्री द्वारा निम्न घोषणाएं कीं–
  - दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को मिलने वाली न्यूनतम सहायता राशि 2 लाख रूपये ।
  - प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके गंभीर रूप से बीमार होने पर उन्हें उचित चिकित्सा लाभ प्राप्त हो सके इस उद्देश्य से अधिवक्ता कल्याण कोष का गठन एवं केंसर, हृदय की किसी भी प्रकार की सर्जरी, ब्रेन हेमरेज, लकवा, किडनी आदि **गंभीर बीमारियों से ग्रस्त अधिवक्ताओं को 1 लाख रूपये तक की चिकित्सकीय क्षतिपूर्ति।**

- **नव नामांकित अधिवक्ताओं** को विधि व्यवसाय में स्थापित होने हेतु नामांकन के साथ ही **12 हजार रूपये की आर्थिक पैकेज।**
- प्रदेश के समस्त जिला, तहसील एवं उच्च न्यायालयों के **पुस्तकालयों को सुसज्जित एवं विधि पुस्तकों से परिपूर्ण हेतु प्रति दो वर्ष में 50 हजार एवं 20 हजार की राशि।**

वर्ष 2014 से 2019 तक म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद की कुछ उपलब्धियां

- मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने भारत के अधिवक्ताओं का नेतृत्व करके **न्यायिक नियुक्ति विधेयक** के लिए कार्य किया।
- भारत के किसी भी राज्य में **अधिवक्ताओं को नियमित सहायता** देने का कानून नहीं है, लेकिन मध्यप्रदेश पहला राज्य बना, जहां अधिवक्ताओं को सहायता देने के लिए राज्य में नोटिफिकेशन करके एक मार्गदर्शन दिया है।
- **दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों** को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम सहायता राशि को **2 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये किया गया।**
- **गंभीर बीमारियों से ग्रस्त अधिवक्ताओं को 5 लाख तक की चिकित्सकीय क्षतिपूर्ति।**
- **नव नामांकित अधिवक्ताओं** को विधि व्यवसाय में स्थापित होने हेतु नामांकन के साथ ही **12,000/– (बारह हजार) रूपये की एकमुश्त सहायता।**
- **पुस्तकालयों को सुसज्जित एवं विधि पुस्तकों से परिपूर्ण करने हेतु** जिला अधिवक्ता संघों को प्रति दो वर्ष में **50 हजार एवं तहसील अधिवक्ता संघ को प्रति दो वर्ष में 20 हजार** की सहायता राशि प्रदान की।

- **अत्याधुनिक ई–लायब्रेरी की सुविधा** उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघों को कंप्यूटर मय प्रिंटर, रिसर्च हेतु **AIR** और **SCC** के आनलाइन साफ्टवेयर कनेक्शन सहित प्रदान किया।
- समस्त जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघों को **बैठक हेतु कुर्सियां।**
- **वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिये पेंशन की सुविधा।**
- अधिवक्ताओं को **चेंबर बनाने की सुविधा उपलब्ध जमीनों पर दी जाए,** ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धांतिक रूप से तय किया।
- **Advocate Protection Act** आगामी विधानसभा सत्र में पारित हो, ऐसा सफल प्रयास।
- 2012 में लोकापर्ण उपरांत **राज्य अधिवक्ता परिषद भवन इंदौर का निर्माण कार्य पूर्ण** किया गया।
- **भविष्य में निर्मित होने वाले नये न्यायालयीन भवनो में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था हेतु स्थान आरक्षण।**
- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के सामने समस्त अधिवक्ताओं की सुविधा के लिये **परिषद द्वारा भव्य विधि भवन** के निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा उपयुक्त भूमि प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया।
- समस्त जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघो के **बिजली व्ययों का भुगतान राज्य शासन द्वारा करवाये जाने का सफल प्रयास।**

जिला अभिभाषक संघ भोपाल 2019 की विगत छः माह की उपलब्धियां

अध्यक्ष के रूप में

- **''राज्य स्तरीय विधिक सेमीनार''** समन्वय भवन भोपाल में आयोजित किया गया, **सेमीनार में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जस्टिस सुजाय पॉय एवं जस्टिस फहीम अनवर** के द्वारा उद्‌बोधन एवं प्रशिक्षण दिया गया।
- **महिला अधिवक्ताओं को प्रसुति अवकाश में 25000/– रूपये की आर्थिक सहायता।**
- **300 नवीन कुर्सियां** संघ हेतु प्राप्त की गयी।
- **ई–लाईब्रेरी हेतु 05 नवीन कम्प्यूटर** संघ को उपलब्ध कराये गये।
- **योग शिविर** कार्यक्रम सम्पन्न कराया।
- **अक्षर प्रभात प्राकृतिक चिकित्सा शिविर** कार्यक्रम सम्पन्न कराया।
- **नेत्र परीक्षण एवं उपचार शिविर** कार्यक्रम सम्पन्न कराया।
- **मधुमेह** संबंधी सेमीनार किया गया।
- **स्टडी सर्किल कार्यक्रम** सम्पन्न कराया गया।
- **वृक्षा–रोपण का कार्यक्रम** न्यायालय परिसर एवं बाहरी परिसर में सम्पन्न कराया गया।
- **Manupatra** आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा उत्कृष्ट कानूनी अनुसंधान कार्यशाला सम्पन्न करायी।
- **Health Check up** Exide Life Insurance Corporation के सौजन्य से सम्पन्न करवाया गया।
- **महिला अधिवक्ताओं द्वारा हरियाली पर्व** कार्यक्रम किया गया।
- **निःशुल्क चिकित्सा शिविर** डॉ. जी.एल. जोशी संस्थापक द्वारा करवाया गया।

- पूर्व अध्यक्ष मान. एन.सी.दास की संस्था द्वारा **एम्बूलेंस की स्थाई रूप से उपलब्धता** की गई।
- **ब्रहमकुमारी प्रशिक्षण कार्यक्रम।**
- **ड्रायविंग लायसेंस शिविर** लगाया गया।
- किकेट की **Advocate Premier League (APL)** की प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- **दिवाली मिलन कार्यक्रम, जस्टिस एस एस केमकर जी, भोपाल के जिला न्यायाधीश श्री वर्मा, कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े, डिआईजी श्री इरशाद वली एवं निगम कमिश्नर श्री बी विजय दत्ता** की उपस्थिती में संपन्न हुआ।
- भोपाल मेला उत्सव समिति एवं सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय, बैरागढ़ द्वारा **दो दिवसीय निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं उपचार शिविर** का आयोजन
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच के सहयोग से, जिला न्यायालय परिसर में **महिला अधिवक्ताओं के लिए, तीन दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर** का आयोजन
- सभी विषयों पर जानकारी व पारदर्शिता, एवं सभी सदस्यों व पक्षकारों की सुविधा हेतु, **जिला अभिभाषक संघ की वेबसाइट** प्रारंभ करने का ऐतिहासिक निर्णय

:: योजनाएं जो आने वाले समय में पूर्ण होनी हैं ::

I. समस्त कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, **"अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम"** यथा शीघ्र पारित कराना।

II. प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघो के **अधिवक्ता कक्षों के निर्माण हेतु जमीन** कम से कम दर पर राज्य शासन दे इस हेतु पूर्ण प्रयास।

III. **सरकारी वकीलों को मिलने वाले मानदेयों में मूल्य वृद्धि** के अनुपात में बढ़ोत्तरी की जाये, इसके लिए शासन से प्रयास कर पूर्ण कराना।

IV. **राजस्व न्यायालयों एवं प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति में अधिवक्ताओं की नियुक्ति** को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु शासन से स्थायी नियम बनवाने का प्रयास कर पूर्ण कराना।

V. **राज्य विधि आयोग को पुनर्जीवित करना** एवं उसमें **चेयरमेन तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति में अधिवक्ताओं को प्राथमिकता** के आधार पर प्रथम स्थान दिया जाये, इसका प्रयास कर पूर्ण कराना।

VI. **मोटर दावा दुर्घटना के अपीलीय प्रकरणों पर की गई शुल्क वृद्धि** विशेषज्ञों की राय से **कम करायी जायेगी,** इसका पूर्ण प्रयास।

सभी अधिवक्ताओ के लिए प्रास्तावित कार्य

- **अधिवक्ताओं एवं उनके परिजनों के cashless** ईलाज हेतु स्वास्थ्य समूह बीमा योजना **(Group Medical Insurance upto 5 lakh)** को राज्य शासन तथा अधिवक्ता परिषद की सहायता से लागू कराना।
- **अधिवक्ताओं एवं उनके परिजनों के लिये समूह जीवन बीमा योजना (Group Life Insuranceupto10 lakh)** ।
- आस पास के जिलों में रहने वाले पक्षकारो की सुविधा एवं सरकारी व्यय कम करने एवं हेतु **भोपाल में म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ (HIGH COURT BENCH)** की स्थापना हेतु राज्य शासन एवं उच्च न्यायालय म. प्र. के मध्य सामान्यजस स्थापित करना।
- उच्च न्यायालय खण्डपीठ के क्षेत्राधिकारो का पुनः निर्धारण किये जाने हेतु उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रयास।
- शासकीय कर्मचारियों एवं आस पास के जिलों में रहने वाले पक्षकारो की सुविधा एवं सरकारी व्यय कम करने हेतु भोपाल में **STATE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL** की स्थापना।
- आस पास के जिलों में रहने वाले पक्षकारो की सुविधा एवं बैंको का व्यय कम करने हेतु भोपाल में **DEBT RECOVERY TRIBUNAL** की ब्रांच की स्थापना।

- पक्षकारो की सुविधा हेतु भोपाल में **GST TRIBUNAL** की स्थापना।
- अधिवक्ताओं को उपरोक्त वर्णित स्वास्थ्य बीमा योजना एवं जीवन बीमा योजना का त्वरित लाभ सुनिश्चित कराने हेतु **राज्य अधिवक्ता परिषद में क्लेम प्रकोष्ठ की स्थापना।**
- समस्त जिला एवं तहसील के न्यायालय परिसरों में **रिक्त भूमि पर, अधिवक्ताओं के लिये आरक्षित भूमिगत पार्किंग, बैठने हेतु हॉल एवं प्रोग्राम हेतु ऑडिटेरियम से युक्त नई बिल्डिंग** अन्यथा अवस्था में अधिवक्ताओं की बैठक हेतु शेड्स निर्माण हेतु प्रस्ताव।
- अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु **जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में चिकित्सीय सुविधा, क्लीनिक एवं 108 एम्बूलेंस की स्थाई रूप से उपलब्धता।**
- जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में **डाकघर की शाखा** उपलब्ध कराना।
- जिला न्यायालय एवं तहसील परिसर में **पुलिस चौकी** उपलब्ध कराना।
- **अधिवक्ताओं की पुत्रियों के विवाह के लिए** आर्थिक सहायता।
- **अधिवक्ताओं के परिवारों में विवाह व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिये कम्युनिटी हॉल्स** की सस्ती दरो पर आसान उपलब्धता।
- **सिविल जज एवं ए.डी.जे. परीक्षा हेतु** अधिवक्ताओं के लिये **ज्ञान सहायता एवं क्लासेस सुविधा।**
- अधिवक्ताओं के हितो के लिये **बार में जमा राशि का दुरूपयोग न हो,** इस कारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में **CA** से **Audit** कराना।
- **न्यायशुल्क एवं टिकिट की आसान उपलब्धता।**
- अधिवक्ताओं की समस्याऐं एवं अधिवक्ताओं के मध्य मामलो के त्वरित निराकरण हेतु **अधिवक्ता शिकायत समाधान प्रकोष्ठ Advocate's Complaint Resolution Cell (ACRC) का गठन।**
- अधिवक्ताओं के मध्य क्रिकेट, फुटबॉल एवं अन्य खेलो के लिए **Sports, Entertainment & Recreation Centre (SPERC)** हेतु प्रस्ताव।

- न्यायालय परिसर में शुद्ध एवं स्वच्छ व्यंजनो की उपलब्धता हेतु **Foodcourt** की स्थापना।
- वकीलो को **कम दर पर राज्य शासन से घर/गृह निर्माण हेतु जमीन** प्राप्त हो, इस हेतु पूर्ण प्रयास करना।
- बैंकों से करार कर **अधिवक्ताओं को सस्ती ब्याज दर पर लोन** की सुविधा प्राप्त हो ऐसा प्रयास।
- स्वच्छ पेय जल हेतू **वॉटर कूलर** की व्यवस्था करने का प्रयास करना। न्यायालय परिसर में सस्ते दर पर **अधिवक्ताओं को केन्टीन में खाद्य पदार्थ** उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक जिलों में माननीय जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्यरत **जिला मॉनिटरिंग सेल में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष को सदस्य के रुप में सम्मिलित करने हेतु** आवश्यक कार्यवाही करना। उपरोक्त बैठकों का प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को प्रेषित करने का प्रावधान, हो ऐसा प्रयास करना।
- संघों में अभिभाषकगणों की **खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष सेल** स्थापित कराना और उनमें जजेस तथा विधि विभाग की भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- विशिष्ट कोटि के विधि वकत्ताओं, प्रदेश और देश के उच्च पद पर पदस्थ व्यक्तियों, पदाधिकारियों को बुलाकर **सेमीनार आयोजित करना,** जिससे संघ सुदृढ़ हो सके और जूनियर अभिभाषको को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
- अधिवक्ताओं के वाहन पार्किंग की विशेष व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास करना, जिससे वाहन सुरक्षित रखे जा सके।
- **Website of Bar Associtions** एवं ई–डायरेक्टरी बनवाना।
- अधिवक्तागण की समस्याओं के लिये **Bar Helpline Number** चालू करना।

- उपरोक्त वर्णित कार्यों को पूरा करने के लिए प्रथम कार्यकारिणी की मीटिंग में ही कार्य योजना बनाना।

नवीन पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिये प्रस्तावित कार्य

- **नवीन पंजीकृत अधिवक्ताओं** को विधि व्यवसाय शुरू करने के प्राथमिक वर्षो में **न्यूनतम मानदेय सहायता** (Stipend)।
- नवीन अधिवक्ताओं को शासन स्तर पर प्राप्त होने वाली राशि **12000/– रूपये से बढाई जाकर 25000/– रूपये करवाना।**
- **शासकीय और अर्द्धशासकीय वकीलों के पेनलों में पंजीबद्ध कराना,** जिससे उनकी आमदनी बढ़े और उन्हें काम करने के अवसर प्राप्त हो।
- ट्रायल प्रेक्टिस में इच्छुक नवीन पंजीकृत अधिवक्ताओं को विधि कार्य में दक्षता हेतु **वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चेम्बरो से जोड़ना।**
- **रिसर्च हेतु ई–लाईब्रेरी** की सुविधा एवं सस्ती दरो पर आवश्यक बेयर–एक्ट आदि किताबें उपलब्ध कराना।
- लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग और प्रोसीजर आदि के संबंध में प्रशिक्षण हेतु **Finishing School/Classes** की व्यवस्था।
- विधिक अंग्रेजी भाषा हेतु **कोचिंग क्लासेस।**
- बैठने हेतु जगह एवं **कुर्सी–टेबल की व्यवस्था** कराना।
- समरी ट्रायल में नवीन अधिवक्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास।
- राज्य अधिवक्ता परिषद में युवा अधिवक्ताओं के लिये लॉ फर्म, वरिष्ठ चेम्बर, बैंक, कंपनीयां और प्राईवेट इंस्टीट्यूशनों में जॉब के लिये रेफर करने हेतु **Placement Co-ordination Committee** की स्थापना।

- युवा अधिवक्ताओं को सिविल जज परीक्षा हेतु उच्च गुणवत्ता के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- उच्च न्यायालय तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उच्च स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम निरन्तर संचालित करवाना।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिये प्रस्तावित कार्य

- वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिये **वातानुकूलित बैठक व्यवस्था।**
- अधिक आयु अथवा अस्वस्थ्यता के कारण चलने-फिरने में अक्षम अधिवक्ताओं के लिये **व्हील-चेयर व अन्य सहायता।**
- वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिये **नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, ईलाज एवं उचित दर पर दवाईयों की व्यवस्था।**

महिला अधिवक्ताओं के लिये प्रस्तावित कार्य

- न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ताओं के बच्चों के लिये **झूला घर** की व्यवस्था।
- महिला अधिवक्ताओं को पृथक से **बैठने हेतु सर्वसुविधायुक्त स्थान** उपलब्ध कराना एवं अलग शौचालय की व्यवस्था, प्रयास कर पूर्ण कराना।
- महिला अधिवक्ताओं को, **प्रथम दो संतानो के जन्म उपरांत आर्थिक सहायता।**
- महिलाओं के लिये **Special Placement Cell** जिसमें सीनियर लॉयर्स का पैनल होगा।

उक्त सभी सुझाव देने के लिये धन्यवाद। प्रत्यक्ष रुप से आपके समक्ष उपस्थित न हो पाने के कारण क्षमा प्रार्थी होकर निवेदन है, आपका सम्मान, विकास, सुरक्षा और आपको मूलभूत सुविधाएँ प्रदाय कराना एवं उक्त प्रस्तावित कार्यो को पूर्ण करना प्रथम प्राथमिकता रहेगी जो आपके मत, समर्थन एवं सहयोग से ही पूर्ण होगी। अतः आप से निवेदन है कि दिनांक **17 जनवरी 2020** को सरल क्रमांक **138** के आगे (**01**) अथवा अंग्रेजी भाषा में (**One**) लिखकर अपना बहुमूल्य मत प्रदान कर अनुग्रहीत करें। किसी व्यक्तिगत वचनबद्धता के कारण अगर (**01**) न लिख पायें, तो (**02**) या (**03**) लिखकर भी सहयोग कर सकते है। आपके सुझाव व प्रतिक्रिया सदैव अपेक्षित है, जिसे आप नीचे दिये गए फोन व ईमेल एव पते पर भेज सकते है।

पता : विजय पैलेस - ई-2/144, अरेरा कॉलोनीहबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.)
व्हाट्सएप : **7489051290**
ई-मेल : **suggestions365@gmail.com**
वेब-साईट: **www.choudharylawassociates.com**

S.NO. **138**

S.NO. 138

कुशल नेतृत्व
सक्षम बार
करेंगे सारे
सपने साकार

ईमानदार व्यक्तित्व, जिम्मेदार नेतृत्व

S.NO. 138